

# FORM NO. |||

फर्दअहकाम  
नियम (26)

आदालत..... न्यायालय सहायक क्लर्क इटावा मुकाम.....

तस्वीर की बनाम लालाराम

सं. मु. .... धारा अ088,,53,188 एल0आर0 एक्ट ..... मिसल न0. 69/2025

शेख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
-----------	------------------------------------	--

16/11/25 प्रस्तुत वाद पत्र वादीगण कि ओर से श्री विकास पारेता एड0 द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ज सम्मन से की जावे। पत्रावली दिनांक 17/11/25 का पेश हो।

17/11/25 पत्रावली पेश की। वकील प्रकाशान् उपाध्याय प्रतिवादी क्रम - 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कमल कुमार खंडल द्वारा वकालतनाम् पेश किया। जो शामिल किया जावे। मिकल वाले व्यवह प्रतिवादीगण से पत्रावली दिनांक 17/12/25 को पेश हो।

17/12/25 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उमयपत्त उपाध्याय अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अ.घा. 11 C.P.C का आ.पत्र प्रस्तुत किया। नकल वकीलगण की दिलवारी गई। दौरान बहल वकील प्रतिवादी द्वारा समान विषय वस्तु संबंध समान परकारान् के मध्य पूर्व निर्दिष्ट 28/2016 (सीताराम बनाम हेमराज स्वयं अन्य : अ.घा. 53, 88, 89, 188 ए+अध) दिनांक 08/08/2023 को होना दर्शित कर आदेशित वाद को रिस जूडिसर (Res Judicata) के सिद्धांत अनुसार परचार नहीं आदेशित वाद अस्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया। अधिवक्ता बड़ी द्वारा बहल उक्त आ.पत्र का शिरोध किया। उकी इसी आशय, विषयवस्तु तथा समान परकारान् के मध्य पूर्व के वाद निर्दिष्ट हो चुका हो।

अतः परचात बर्ती बाद नर कीई औपिन्त्र  
शेष नही होने से आहेशित बाद (Resubdicata)  
के सिंजाने से बाधित होने से डाकना - पत्र  
स्वीकार किया जाकर बाद पत्र अस्वीकार किया  
जाकर खारज किया जाता है पत्रावली फंसल  
शुभार होकर बाद तक्रमील दारिगल दस्त है

सहायक कलेक्टर  
इटवा जिला केच (राज)